


चरण 1 - सबसे पहले श्रमिक श्रम विभाग हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट www.hrylabour.gov.in पर जाएं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें।



चरण 2 - रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करने के बाद बोर्ड़ द्वारा दिए गए सभी निर्देशों को पढ़ें व उसे स्वीकार करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।